

उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड
पटेलनगर देहरादून।

दूरभाष नं.-0135-2728272 व फ़ैक्स-2728226, टोल फ़्री नं.- 18002701213
website : www.doiuk.org

उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के परम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्ण बनाये रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिये जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना स्वीकृत की गई है। योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष 25 शिल्पियों को पुरस्कृत किया जाना है।

योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में शिल्पियों के चयन हेतु पात्रता निम्नवत है:-

- (i) राज्य का कोई भी सिद्धहस्तशिल्पी जो असाधारण स्तर या विशिष्ट शिल्पकला में पारंगत हो और जिसने परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो।
- (ii) आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिये (आवेदन के साथ उत्तराखण्ड निवास प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिये)।
- (iii) आवेदक की आयु 45 वर्ष से कम न हो।
- (iv) शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो।
- (v) कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

2. योजनान्तर्गत पुरस्कार के चयन से सम्बन्धित आवेदन-पत्र सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन-पत्र सम्बन्धित जिला उद्योग केन्द्र के कार्यालय में दिनांक: 05 अगस्त, 2015 तक जमा करना अनिवार्य होगा। इस तिथि के उपरान्त कोई भी आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

नोट-1. सम्बन्धित योजना उद्योग विभाग की वेबसाइट www.doiuk.org पर उपलब्ध है।

2. योजना एवं आवेदन-पत्र की विस्तृत जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक उद्योग,
उत्तराखण्ड।

“उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन-पत्र”

स्वप्रमाणित
फोटो

01	शिल्पी का नाम	
02	शिल्पी का पता	
03	मो0 / टेलीफोन / फैंक्स / ईमेल	
04	पिता / पति का नाम	
05	जन्म स्थान	
06	जन्म तिथि (कृपया जन्म तिथि सम्बन्धी दस्तावेज की अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करें)	
07	जिस शिल्प पर कार्य रहे है, उसका नाम	
08	कार्य कर रहे शिल्प का संक्षिप्त इतिहास, यदि आवश्यक हो, तो अलग से विवरण प्रस्तुत करें	
09	गुरु अथवा शिक्षक का संक्षिप्त ब्यौरा जिनसे इस सम्बन्ध में प्रेरणा / प्रशिक्षण प्राप्त किया	
10	शैक्षणिक / वोकेशनल योग्यता, यदि कोई हो शिल्प में कौशल सम्बन्धी डिग्री यदि कोई हो	
11	सिद्धहस्तशिल्पी द्वारा शिल्प के विकास, सुधार और उसकी तकनीकों की ओर योगदान का संक्षिप्त ब्यौरा	
12	शिल्पी द्वारा निर्मित अतिविशिष्ट उत्पादों, को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा खरीदा गया है, क्या दावे के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज है	
13	सिद्धहस्तशिल्पी ने परम्परा को आगे बढ़ाने के लिये किसी प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण दिया है। कितने युवा पीढ़ी के शिल्पियों को प्रशिक्षित किया गया है	
14	आवेदक सिद्धहस्तशिल्पी को पुरस्कृत पुरस्कारों अर्थात् राष्ट्रीय / राज्य / जनपदीय पुरस्कार प्रमाण-पत्र का विवरण	
15	मुख्य प्रदर्शनियों का विवरण, जिसमें सिद्धहस्तशिल्पी ने अपना कौशल दर्शाने के लिये अथवा अपनी कृतियां प्रदर्शित करने के लिये भाग लिया हो	
16	सिद्धहस्तशिल्पी की औसतन प्रतिमाह आय	

हस्ताक्षर

सिद्धहस्तशिल्पी का नाम :

.....

प्रेषक,

मनीषा पंवार
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक
जिला उद्योग केन्द्र, उत्तराखण्ड।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

देहरादून : दिनांक 21 जुलाई 2015

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य शिल्प रत्न पुरस्कार योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पारम्परागत शिल्प कला के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन हेतु पारम्परिक कला, संस्कृति की परम्परा को अक्षुण्ण बनाए रखने एवं शिल्पियों की कल्पनाशीलता, योग्यता तथा कारीगरी को प्रोत्साहित करने एवं शिल्प क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले शिल्पियों को समुचित सम्मान दिए जाने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड शिल्परत्न पुरस्कार योजना प्रारम्भ किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त पुरस्कार योजना के अंतर्गत उत्तराखण्ड में शिल्पियों के चयन हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश निर्गत किये जाने की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. चयन हेतु पात्रता :-

1. राज्य का कोई भी सिद्धहरतशिल्पी जो असाधारण स्तर या विशिष्ट शिल्प कला में पारंगत हो और जिसने परम्परागत शिल्प क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया हो।
2. आवेदक उत्तराखण्ड राज्य का निवासी होना चाहिये (आवेदन के साथ उत्तराखण्ड निवास प्रमाण-पत्र संलग्न होना चाहिये)।
3. आवेदक की आयु 45 वर्ष से कम न हो।
4. शिल्प क्षेत्र में कम से कम 15 वर्ष कार्य किया हो।
5. कोई भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/सहकारी संस्था/संघ के कर्मचारी इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे।

2. संख्या :- योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 25 शिल्पियों को पुरस्कृत किया जायेगा।

सं-नि-30
सं-नि-30(4)

22/7/15

3. पुरस्कार का स्वरूप:- पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कार राशि के रूप में एक लाख रुपये धनराशि, प्रतीक चिन्ह, अंगवस्त्र एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

4. प्रविष्टि आमंत्रण:-

- (1) एमएसएमई विभाग द्वारा योजना की जानकारी एवं प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों जिनमें से एक समाचार पत्र हिन्दी संस्करण राष्ट्रीय स्तर का होगा, के माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जायेगा।
- (2) आवेदक द्वारा पूर्ण भरा गया आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत की जायेंगी।
- (3) आवेदन का वर्ष कैलेण्डर वर्ष होगा।

5. चयन हेतु मानक -

- (1) पारम्परिक शिल्पों के क्षेत्र में योगदान।
- (2) राष्ट्रीय/राज्य स्तर से पुरस्कार प्राप्त शिल्पियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (3) परम्परागत शिल्प के विकास, तकनीकी सुधार एवं अभिनव उत्पादों के विकास में योगदान।
- (4) शिल्पी द्वारा युवाओं को प्रशिक्षण दिये जाने में योगदान।
- (5) पारम्परिक शिल्पों, जो लुप्त हो रहे हैं, के संरक्षण एवं संवर्द्धन में योगदान।
- (6) शिल्पी द्वारा तैयार कलाकृतियों की गुणवत्ता/उत्कृष्टता।
- (7) शिल्पी द्वारा निर्मित उत्कृष्ट उत्पादों को किसी संग्रहालय, मन्दिरों, कला समीक्षकों द्वारा क्रय किया गया है (क्रय के विवरण सम्बन्धी दस्तावेज संलग्न किये जायें)।

नामांकन

ऐसे उत्कृष्ट शिल्पी, जिन्होंने स्वयं उक्त पुरस्कार हेतु आवेदन नहीं किया है, परन्तु जिला स्तरीय समिति उत्तराखण्ड शिल्प रत्न पुरस्कार के लिए संबंधित शिल्पी को नामांकन के लिए उपयुक्त समझती है, तो उसका नामांकन कर, जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा राज्य स्तरीय समिति के विचार हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

उपरोक्त मानकों के आधार पर जनपद स्तरीय चयन समिति द्वारा प्राप्त आवेदन-पत्रों का परीक्षण/निरीक्षण कर योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र अपनी टिप्पणी/संस्तुति सहित उद्योग निदेशालय को प्रेषित किये जायेंगे।

राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्राप्त संस्तुतियों/आवेदनों पर विचार कर शिल्प रत्न पुरस्कार हेतु चयन किया जायेगा।

6. चयन की प्रक्रिया

जनपद स्तरीय समिति पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति (Screening Committee) द्वारा प्राप्त आवेदनों का उक्त मानकों के अनुरूप निरीक्षण/परीक्षण कर, सुयोग्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र चयनित करेगी।

(1) जनपद स्तरीय स्क्रीनिंग समिति का स्वरूप:-

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | जिलाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2. | समाज कल्याण अधिकारी | - सदस्य |
| 3. | संबंधित जिले के ग्रामोद्योग अधिकारी | - सदस्य |
| 4. | संबंधित जिले के महाप्रबन्धक/प्रभारी महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र | - सदस्य
सचिव |

(2) राज्य स्तरीय समिति का स्वरूप:-

- | | | |
|----|---|-----------------|
| 1. | प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,
उत्तराखण्ड शासन | - अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक उद्योग, उत्तराखण्ड | - सदस्य
सचिव |
| 3. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड हथकरघा एवं
हस्तशिल्प विकास परिषद | - सदस्य |
| 4. | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प/हथकरघा), भारत सरकार
के प्रतिनिधि | - सदस्य |
| 5. | हस्तशिल्प/हथकरघा क्षेत्र के विशेषज्ञता प्राप्त प्रतिनिधि/
डिजाइनर। | - सदस्य |


7. पुरस्कार वितरण समारोह

पुरस्कृत शिल्पियों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु राज्य स्तर पर एक पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया जायेगा अथवा किसी प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार-प्रसार भी किया जायेगा, ताकि पुरस्कृत शिल्पी को उसके कार्य की पूर्ण सराहना प्राप्त हो सके। प्रारम्भ में उक्त पुरस्कार योजना चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 से अग्रिम 05 वर्षों तक प्रतिवर्ष वितरित किया जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या- 344 दिनांक 21 जुलाई, 2015 में प्राप्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

कृपया उपरोक्तानुसार योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए।

संलग्न :- आवेदन-पत्र का प्रारूप।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या: (1) / VII-2 / 15-78 एम.एस.एम.ई. / 2015 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि:- 1. प्रमुख सचिव-मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

2. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

4. समस्त सदस्य राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समिति।

5. निजी सचिव-मा0 मंत्री, एम.एस.एम.ई., मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ

6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।

7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा. आर.राजेश कुमार)
अपर सचिव